Welfare Programme during the Eighth Five Year Plan is laid on the table of the House (Annexure-II) [See Appendix 184, Annexure No. 73]

रेलवे की सतर्कता शाखा के पास लंबित मामले

*357. श्री चुन्नी लाल चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की सतर्कता शाखा में जोन-वार कितने मामले लंबित हैं:

(ख) क्या ऐसे मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों को कब तक निपटाया जाना अपेक्षित है; और

 (ग) रारकार द्वारा इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) 31.5.1998 की स्थिति के अनुसार उन मामलों की संख्या 1156 है जिनकी सतर्कता जांच चल रही है। जोनवार लंबित मामले इस प्रकार हैं:---

मध्य रेलवे	168
पूर्व रेलवे	40
उत्तर रेलवे	256
पूर्वोत्तर रेलवे	121
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	18
दक्षिण रेलवे	179
दक्षिण मध्य रेलवे	97
दक्षिण पूर्व रेलवे	139
पश्चिम रेलवे	50
उत्पादन कारखाने	88

(ख) जी नहीं। मामले के निपटान में लगने वाला समय शिकायत और अनियमितता की प्रकृति पर निर्भर करता है।

(ग) रेलवे का सतर्कता विभाग प्रति वर्ष औसतन लगभग 13,000 मामलों की जांच करता है और लंबित मामलों की संख्या 1200 से कम होती है। यात्री गाड़ियों के संचालन हेतु राज सहायता *358. श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः श्री बलवन्त सिंह रामवालियाः

क्या रेला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को रेलवे की यात्री गाड़ियों के संचालन हेतु राज सहायता देनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य यात्री गाड़ी, मेल और एक्सप्रेस यात्रो गाड़ियों एवं वातानुकूलित यात्री गाड़ियों के संचालन हेतु वर्ष-वार कितनी-कितनी राशि राज सहायता के रूप में दी जाती है: और

(ग) क्या सरकार को देश के महानगरों में चलायी जाने वाली स्थानीय गाड़ियों के संचालन हेतु भी राज सहायता देनी पड़ती है; यदि हां, तो इस राज-सहायता को राशि कितनी है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) भारतीय रेलों को महानगरों में स्थानीय गाड़ियों सहित यात्री सेवाओं के परिचालन में रेलों द्वारा वहन की जाने वाली हानि के लिए केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार से कोई राज सहायता प्राप्त नहीं होती है।

Revamping of N-II plant of Namrup Unit of H.F.C.

*359. SHRI DRUPAD BORGO-HAIN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to revamp N-II plant of Namrup Unit of H.F.C. with an investment of Rs. 350 crores, bifurcate Namrup Unit from H.F.C. and form a new independent company with its Head Office at Namrup, and revise the pay scale for the employees of Namrup Unit which is long overdue; and

(b) if so, the details regarding the selling price of urea produced by Rashtriya Chemicals and Fertilizers, Trombay, National Fertilizers and Chemicals Ltd., and H.F.C. Units separately and the subsidy given to them and the reasons of discrimination in giving the subsidy?